>

Title: Situation arising out of the alleged threatening and harassment by defence personnel to civilians living in all the Cantonment areas in the country.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि देश में कुल 62 छावनी परिषद क्षेत्रों में लगभग एक करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन देश की आजादी के बाद भी कैंट एक्ट 1924 कमोबेश अभी तक लागू है। वर्ष 2006 में इसमें कुछ संशोधन किए गए, लेकिन वे परिवर्तन भी मूल रूप से जनहित में न होकर केवल सेना के अधिकारियों की सुविधा एवं सेना के अधिकार बढ़ाने के लिए ही किए गए प्रतीत होते हैं। इसके कारण छावनी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक आज भी नारकीय जीवन जीने को विवश हैं, क्योंकि मकानों में छोटे-मोटे निर्माण कार्य करने पर भी नोटिस दिया जाता है। बंगलों में छोटे-छोटे कार्य करने पर भी व्यापारिक गतिविधियों के नाम पर सेना के संबंधित छावनी क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा नोटिस दे दिया जाता है और सेना की आवश्यकता बताकर उन्हें बंगला खाली कराने की धमकी दी जाती है। जिसके कारण नागरिकों को पुलिस की प्रताड़ना सहनी पड़ती है और कचहरी में एक मुजरिम की तरह जमानत करानी पड़ती है तथा वर्षों तक कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

महोदय, आल इंडिया कैंटोनमेंट बोर्ड्स वाइस प्रेसीडेंट्स एंड मैम्बर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल गत दिनों रक्षा राज्य मंत्री एवं सभी संबंधित रक्षा अधिकारियों से इस बारे में विगत वर्षों में मिलता रहा है, लेकिन छावनी में रहने वाले नागरिकों की समस्याओं का अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। मेरा आग्रह है कि मंत्री जी इन समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और उन्हें दूर करें।

देश की 62 छावनी परिषदों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में प्रमुख समस्याएं लैंड पॉलिसी, छावनी अधिनियम 2006 और अन्य समस्याओं के समाधान हेतु मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं-

1. अवैध निर्माण को नियमित किया जाये।

2. भूमि फ्री होल्ड कराने की प्रक्रिया को व्यावहारिक व सरल किया जाये।

3. सिविल एरिया की आबादी बढ़ जाने के कारण उसका पुर्नगठन किया जाये।

4. लीज के नवीनीकरण की प्रक्रिया सरल की जाये तथा चुने हुए छावनी बोर्ड के प्रतिनिधियों के अधिकारों को बढ़ाया जाये।

सभापति महोदय :

प्रो. रामशंकर स्वयं को श्री वीरेन्द्र कश्यप जी द्वारा उठाये गये विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।